BUILDERS' ASSOCIATION OF INDIA

(All-India Association of Engineering Construction Contractors)
203, Aashirwad Complex, D-1, Green Park, New Delhi-110016
☎ 011-26568763, 9555448763 σ Fax: 011-26568763
Email: baidelhi16@gmail.com,Web Site: www.baionline.in

ARUN SAHAI
National Vice President

Mob : 9810050584

No/BAI/03/2020 दिनांक 23rd June 2020

सेवा में,

माननीय श्री सुरेश खन्ना जी

कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (उ०प्र०)।

विषय - सिविल एवं विद्युत संविदा कार्य करने वाले संविदाकारों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले संविदाकारों की निम्नलिखित समस्याओं पर आपका ध्यानाकर्षण प्राप्त कर निराकरण वांछित है।

1. **जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र की अनावश्यक बाध्यता*-**

इस विषय में निवेदन करना है कि पूर्व में बैंक द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र ही निविदादाता के लिए अनिवार्य था जोकि प्रासंगिक भी है , परन्तु पूर्व की सपा सरकार ने अपने निहित स्वार्थों हेतु अनावश्यक रूप से जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया। इस प्रक्रिया से ठेकेदारों पर अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक बोझ ही पड़ता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि सिविल एवं विद्युत ठेकेदारों के लिए मात्र बैंक द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता ही लागू रखी जाए तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र की अनावश्यक बाध्यता समाप्त कर दी जाए।

2. **अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए*-**

इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक ठेकेदारों को लगातार काम नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में उनके अनुभव प्रमाण पत्र पुराने हो जाने से उनकी नए कामों में प्रतिभागिता के अवसर सीमित हो जाते हैं तथा उनके सम्मुख रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस विषय में समस्त विभागों में एकरूपता नहीं है। कुछ विभागों में अनुभव प्रमाण पत्र सात साल तक वैध हैं तथा कुछ विभागों में यह अवधि घटाकर मात्र तीन साल तक कर दी गई है। आपसे मेरा

.../...

विनम्र अनुरोध है कि अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को दस साल तक मान्य किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ अन्य प्रदेशों में टर्न ओवर पर हर साल पांच प्रतिशत की वेटेज भी दी जाती है तथा यही व्यवस्था अनुभव प्रमाण पत्र पर भी लागू होती थी। मेरा यह भी अनुरोध है कि कृपया टर्न ओवर व अनुभव राशि पर हर साल पांच प्रतिशत का वेटेज मान्य किया जाना चाहिए।

3. जमानत व परफॉर्मेंस राशि की वापसी*-

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय में अनेक विभागों द्वारा मनमानी की जा रही है यथा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमानत राशि की वापसी हेतु स्पष्ट उल्लेख था कि कार्य समाप्ति तिथि से मेनटेनेंस अवधि लागू मानी जाएगी। मगर गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में अधिकारियों द्वारा भुगतान की तिथि से मेनटेनेंस अवधि लागू मानने का अनुचित नियम लगाया जा रहा है।अब इन परिस्थितियों में जबकि भुगतान हेतु कई कई महीने निकल जाते हैं तो यह नियम बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है और आज की परिस्थितियों के दृष्टिगत जबकि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जमानत और परफोर्मेंस गारंटी को किए गए काम के सापेक्ष तुरंत अवमुक्त कर दिया जाए , तो भी गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।आप से अनुरोध है कि इस विषय में समयानुकूल कार्यवाही करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

4. MSME रजिस्ट्रेशन वाली फर्म को EMD से छूट के प्रावधान का अनुपालन*-

आपके सुलभ संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश के अनेक विभागों में इस नियम का कोई अनुपालन नहीं किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि जिन फर्मों का MSME में पंजीकरण है उन्हें तदनुसार अग्रिम जमानत राशि से छूट के नियम का उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

5. गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के ठेकेदारों को किए गए कार्यों का भुगतान न मिल पाना व अन्य अनेक समस्याओं के संबंध में*-

`माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण इस समय भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अनेक ठेकेदारों के भुगतान लंबित हैं। इससे भी अधिक शोचनीय स्थिति यह हो गई है कि इस कारण से अधिकारियों ने पत्रावलियों को स्वीकृत करना ही बंद कर दिया है।यह व्यवस्था पूर्णतः अव्यवहारिक तथा अनुचित है। इसके अलावा ठेकेदारों का प्रवेश भी प्राधिकरण कार्यालय में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनेक कार्यों के भुगतान आडिट आपत्तियां बताकर रोके गए हैं जिससे अनेक संबंधित ठेकेदार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।

.../...

आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को उचित आदेश देकर ठेकेदारों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

6. इसके अलावा कुछ और कठिनाइयां भी आपके संज्ञान में लाकर उनका निराकरण कराने हेतु अपेक्षा की जाती है जैसे कि आनलाइन निविदाओं में भी न्यूनतम तीन निविदा प्राप्त न होने पर निविदा निरस्तीकरण का कोई औचित्य नहीं है । कुछ विभागों में EMD राशि FDR के रूप में ली जा रही है जोकि उचित एवं सुविधाजनक भी है। मगर अनेक विभागों में RTGS के माध्यम से ली जा रही EMD की धनराशि असफ़ल निविदादाताओं को वापस प्राप्त करने में भारी असुविधा व अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है । अतः आपसे निवेदन है कि आवश्यक EMD की धनराशि FDR के रूप में लेने हेतु सभी विभागों को आदेशित करने की कृपा करें।चालीस लाख रूपए धनराशि तक की निविदाओं को सिंगल बिड के माध्यम से ही किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त एक विशेष महत्त्वपूर्ण विषय विद्युत ठेकेदारों के पंजीकरण नवीनीकरण का है जिसमें आपका सहयोग वांछनीय है। दिल्ली प्रदेश में विद्युत लाइसेंस की वैधता अवधि बीस वर्ष है जबकि उत्तर प्रदेश में यह हर साल नवीनीकरण कराने की बाध्यता है। आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से इस विषय में वार्ता कर उत्तर प्रदेश में भी लाइसैंस की वैधता अवधि कम से कम दस साल लागू कराने की कृपा करें। इस प्रकार एक साथ दिए गए लाइसेंस शुल्क से शासन को भी एकमुश्त आय प्राप्त होगी तथा ठेकेदारों को भी हर साल नवीनीकरण में आने वाली कठिनाईयों से छुटकारा मिल सकेगा।

माननीय मंत्री जी से हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त समस्याओं पर त्वरित उचित कार्यवाही करते हुए आप इनका निस्तारण अवश्य ही करेंगे। इस महान सहयोग हेतु बिल्डर्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया आपकी सदैव ऋणी रहेगी।

भवदीय,

अरुण सहाय
उपाध्यक्ष नार्थ जोन
बिल्डर्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया।